कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील हेतु आदेश)

पत्रांक 3872/वाद सं0 आर–0327/एस–5/2023 दिनांक: 14-03–2023

श्री अमित कुमार मित्तल,
श्री सिद्ध विहार लोवर नेहरूग्राम,
लेन न0–11, देहरादून।

आपके द्वारा उपरोक्त स्थल पर भूतल में लगभग 25 गुणा 25 फीट क्षेत्रफल में कॉलमों की सहायता से आवासीय भवन का निर्माण किया जा रहा है, स्थल पर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) संषोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं अन्तर्गत कारण बताओ एंव स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं0 आर–0327/एस–5/2023 योजित किया गया था।

उपरोक्त वाद में दिनांक 21.02.2023 को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009, की धाराओं के अन्तर्गत आपको "कारण बताओ नोटिस" एवं निर्माण कार्य रोकने की सूचना प्रेषित की गयी। जिसे स्थल पर विपक्षी द्वारा प्राप्त करने से मना करने के उपरान्त स्थल पर दिनांक 22.02.2023 को चस्पा किया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि, आप द्वारा किये जा रहे उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 01.03.2023 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर विपक्षी अनुपस्थित रहे। विपक्षी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कार्यालय पत्रांक 3808 दिनांक 03.03.2023 के माध्यम से सील हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत करते हुए दिनांक 09.03.2023 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर भी विपक्षी अनुपस्थित रहे न ही विपक्षी द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में कोई अभिलेख/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त वाद के संबन्ध में विपक्षी को कोई रूचि नहीं है, एवं विपक्षी इस संबन्ध में कुछ नहीं कहना है। विपक्षी द्वारा जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नही है।

अतः चालानशुदा अवैध निर्माण मे सील की कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। इसी क्रम में आपके द्वारा किये गये चालान शुदा अनधिकृत निर्माण को **सील** किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

–आदेश–

अतः विपक्षी श्री अमित कुमार मित्तल, श्री सिद्ध विहार लोवर नेहरूग्राम, लेन न0–11, देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित पते/स्थल पर भूतल में लगभग 25 गुणा 25 फीट क्षेत्रफल में एक आवासीय भवन का निर्माण किया जा रहा है, स्थल पर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) संषोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः चालानशुदा निर्माण को 28(क) के अन्तर्गत सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अवैध/अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 21/3/23 को सील किया जाना है। आदेश की प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय। तद्नुसार सूचित हो।

14/3/23
संयुक्त सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

मौके से मिला